उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना -कम्पिल

दि0-09.10.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त पिंकी उर्फ राजेश पुत्र रामवीर सिंह निवासी सिरसा थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ मु0अ0स0- 70/2019 वाद संख्या 162/2019 धारा 302,504 भादवि0 थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए *मा0 न्यायालय डी0जे0 कोर्ट द्वारा दिनांक 09.10.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा व 50000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

डीजीसी - श्री सुदेश प्रताप सिंह

एडीजीसी - श्री पंकज कटियार

को0 मो0 - हे0का0 सुवेश कुमार

पैरोकार -हे0 का0 आदित्य दुबे

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना - कम्पिल

दि0-09.10.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त पिंकी उर्फ राजेश पुत्र रामवीर सिंह निवासी सिरसा थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ मु0अ0स0- 71/2019 वाद संख्या 163/2019 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***मा0 न्यायालय डी0जे0 कोर्ट द्वारा दिनांक 09.10.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 04 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 4000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।***

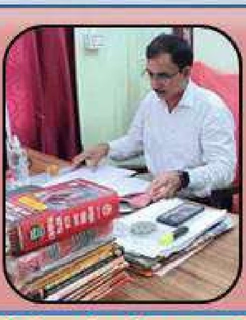

डीजीसी - श्री सुदेश प्रताप सिंह

एडीजीसी - श्री पंकज कटियार

को0 मो0 - हे0का0 सुदेश कुमार

पैरोकार -हे0 का0 आदित्य दुबे